संख्या: 03/2020/468/33-3-2020

प्रेषक,

अनीता सिंह,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2020**

विषय:-परफारमेंस इन्सेन्टिव ग्राण्ट फण्ड **(पी0आई0जी0एफ0)** द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-**409/33-3-2020** दिनांक **07** फरवरी, **2020** का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परफारमेंस इन्सेन्टिव ग्राण्ट फण्ड से अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य आबादी में एक सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या- **2.2** के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंन्ट कमेटी के द्वारा ग्राम पंचायत/किसी तकनीकी विभाग को क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत किया गया है, जिसमें निम्नवत् संशोधन किया जा रहा है-

(1) प्रत्येक अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य आबादी वाले ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण परफारमेंस इन्सेन्टिव ग्राण्ट फण्ड **(पी0आई0जी0एफ0)** की धनराशि से जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंन्ट कमेटी द्वारा चयनित क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में किसी शासकीय तकनीकी विभाग **(**जैसे- लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग**)** के माध्यम से ही कराया जाएगा। परफारमेंस इन्सेन्टिव ग्राण्ट फण्ड **(पी0आई0जी0एफ0)** की धनराशि से निर्मित होने वाले सामुदायिक शौचालय की क्रियान्वयन एजेन्सी ग्राम पंचायतें नहीं होंगी।

(2) क्रियान्वयन एजेन्सी **(**जैसे- लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग**)** के माध्यम से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य मिशन मोड में कराकर दिनांक **15** मार्च, **2020** तक पूर्ण करा लिया जाए। मिशन मोड में दिनांक **15** मार्च, **2020** तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंन्ट कमेटी द्वारा **01** से अधिक क्रियान्वयन एजेन्सी का चयन भी किया जा सकता है।

(3) भारत सरकार के संलग्न पत्र संख्या-एस-**18013/2/2014-O/o Dir (SBM)- Part (4)** दिनांक **05.02.2020** के अनुसार परफारमेंस बेस्ड इन्सेन्टिव ग्राण्ट की धनराशि भारत सरकार से शत्-प्रतिशत अनुदान के रूप में है तथा इसके लिये राज्यांश की आवश्यकता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नहीं है। वर्ल्ड बैंक परफारमेंस ग्राण्ट से सामुदायिक शौचालय निर्माण कराने की दशा में जनपद को उपलब्ध कराई गई पी0आई0जी0एफ0 (परफारमेंस इन्सेन्टिव ग्राण्ट फण्ड) की धनराशि केन्द्रांश के रूप में मात्राकृत है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में कोई अंश नहीं दिया जाना है। सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु योजनान्तर्गत कुल अनुमन्य धनराशि रू0 02.00 लाख है। जिसके लिये जनपदों में उपलब्ध पी0आई0जी0एफ0 की धनराशि का उपयोग केन्द्रांश एवं राज्यांश के योग अर्थात् 90 प्रतिशत की सीमा तक किया जाएगा। 10 प्रतिशत् की धनराशि लाभान्वित ग्राम पंचायत द्वारा वहन की जाएगी।

(4) भारत सरकार द्वारा जारी ओ0डी0एफ0 स्थायित्व (ODF Sustainablity) के संदर्भ हेतु जारी गाइड-लाइन्स के माध्यम से उपलब्ध कराये गये तथा शासनादेश संख्या-409/33-3- 2020 दिनांक 07 फरवरी, 2020 के साथ संलग्न एस्टीमेट व डिजाइन के अनुसार ही सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा।

2- अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य आबादी वाले ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य परफारमेंस इन्सेन्टिव ग्राण्ट फण्ड (पी0आई0जी0एफ0) की धनराशि से दिनांक 15 मार्च, 2020 तक मिशन मोड में पूर्ण कराने का कष्ट करें।

शासनादेश संख्या-409/33-3-2020 दिनांक 07 फरवरी, 2020 में प्रावधानित शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
3- निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
6- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in